तथ्य

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2012 निगरानी — R 2261 II/12

आज दि. 19.7.12 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती कुँवरवाई पत्नी किशन सिंह यादव आय–38 वर्ष, निवासी तेड़यामार, तहसील वक्स्वाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.)–आवेदिका

बनाम

1-- मदनलाल पुत्र हीरालाल दर्जी
निवासी ग्राम वक्स्वाहा, जिला छतरपुर(मप्र)

2-- म.प्र. शासन ------अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 2161 / II / 2012

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला छतरपुर

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

14.7.14 यह निगरानी तहसीलदार, बकस्वाहा जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 1 अ--3/2011--12 में पारित आदेश दिनांक 25.5.2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी पचलन योग्य है अथवा नहीं -- आदेश दिनांक 25--5--12 के कम में पेशी 14.7.14 को उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार, बकस्वाहा जिला छतरपुर के यहां बकस्वाहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1677/1/1 रकबा 1.416 हैक्टर के नक्शा तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 1 अ--3/2011--12 पंजीबद्व किया गया है तथा राजस्व निरीक्षक से मौके की जांच कराई गई है एंव राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 2.9.2011 अनुसार दिनांक 24.11.10 को ग्राम मुड़वारा में मौके पर पहुंचकर उन्होने भूमि सर्वे कमांक 1677/1/1 रकबा 1.416 हैक्टर हैक्टर का मौके की स्थिति अनुसार पेन्सिली नक्शा में तरमीम करते हुये तहसीलदार को प्रतिवेदन दिया है जिस पर से तहसीलदार ने आदेश दिनांक 25.5.12 से राजस्व निरीक्षण के प्रस्तावानुसार नक्शे में लालस्वाही से तरमीम करने के आदेश पारित किये हैं। विचार योग्य है कि , नक्शा तरमीम करने के अधिकार तहसीलदार को हैं अथवा नहीं ? और नक्शा तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार व्दारा पारित आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी

निगरानी कमांक 2261/ I/2012

श्रवण योग्य है अथवा नही ?

1. धारा-68 सर्वेक्षण सॅख्यॉको तथा ग्रामों की विरचना ' "टिप्पणी आ " कलेक्टर को बंदोवस्त अधिकारी की शक्ति प्रदत्त – बंदोवस्त अवधि के भीतर कलेक्टर को बंदोबरत अधिकारी के अधिकार प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त है (धारा 90 देखें) कलेक्टर की ये शक्तियॉ तहसीलदारों को प्रदान कर दी गई है। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी इ (9) देखें।

2. धारा 24 – इ (9) -- म.प्र.राजपत्र दिनांक 30 अगस्त 1968 में प्रकाशित अधिसूचना क. 2543--6408--सात--ना--1 दिनांक 27 जून 1968 व्दारा संहिता की धारा 71, 72, 73 (अब कमशः धारा 68, 69, 70) के अधीन बंदोबरत अधिकारी की शक्तियों के प्रयोग के लिये धारा 88 (अब 90) के अधीन कलेक्टर को प्राप्त शक्तियॉ समस्त तहसीलदारों को प्रदान की गई हैं।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर आदेश दिनांक 25.5.12 पारित किया है जो अपील योग्य आदेश है और आवेदक के पास तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अप्रचलयोग्य पाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर